न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–158 / 2020
GCMS NO:- 2020/00306 दायर दिनांक: 30.09.2020
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. बाबू पुत्र अम्बालाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. महावीर पुत्र अम्बालाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. मसरी पत्नि बजरंगा जाति मीणा निवासी ग्राम बाक्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. शिमला पत्नि रामसागर जाति मीणा निवासी ग्राम गुढागोपालजी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. पुष्पा पत्नि लादू जाति मीणा निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. मीरा बाई पत्नि बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. मुकलेसी पुत्र महावीर जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण

1. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. उप तहसील जर्ये नायब तहसीलदार साहब देई जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण––

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 26.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देवरिया पटवार मण्डल डोकुन तहसील नैनवां में प्रार्थीगण 1 लगायत 5 की आधिपत्य एवं खातेदारी भूमि खसरा संख्या 132 / 483 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा तथा प्रार्थीगण 6 लगायत 7 की आधिपत्य एवं खातेदारी खसरा संख्या 134 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि है। यह कि प्रार्थीगण की भूमि में जाने का एक मात्र रास्ता देई से बांसी जाने वाले रास्ते से दक्षिणी दिशा की तरफ फटकर ग्रेवल रोड पर होता हुआ खसरा संख्या 123 सिवायचक भूमि में होकर प्रत्यार्थीगण के खेतो पर पहुचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाया है जो खसरा संख्या 132 / 483 को भी नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है जो खसरा संख्या 132 के दक्षिणी तरफ का है। यह कि प्रार्थीगण हल कुली, बैलगाडी, ट्रेक्टर व अन्य कृषि लाने ले जाने आवागमन के रूप में उपयोग उपभोग कर रहे है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ 15 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में सिवायचक खसरा नम्बर 123 रकबा 5–06 में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचने हेतु कोई रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही है । अतः इसके लिए रास्ता खसरा नम्बर 123 में 363 फीट • 15 फीट = 5445 वर्गफीट भूमि प्रस्तावित रास्ते में आयेगी। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 5445 वर्गफीट है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:15:19 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट डोकुन में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम देवरिया पटवार मण्डल डोकुन तहसील नैनवां में प्रार्थीगण की आधिपत्य एवं खातेदारी भूमि खसरा संख्या 132/483 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा तथा खसरा संख्या 134 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 123 सिवायचक गै0मु0 बर्डा में से 5445 वर्गफीट क्षेत्रफल का, प्रस्तावित रास्ता, जिसे परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है, रास्ते के उपयोग में आने वाली खसरा संख्या 123 वाले हिस्से को गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्ताव वास्ते अनुमोदन श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी को प्रेषित किया जावे। प्रस्तावित रास्ते के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'अ' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि बाद अनुमोदन श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी के मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:15:19 IST
Reason: SelfAttested